<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2017 **दायर दिनांकः 14.07.2017**

उनवान

1. मंजूबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. हरिश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी जैन मंदिर के पास खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा ।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनांक 13/09/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र माननीय नयायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थिया के पति ओमप्रकाश के खाते ग्राम बेडक्या तहसील अटरू में खाता सं0 4 ख0नं0 38 की 0.09 है0, ख0नं0 186 की 1.69 है0, कुल 2 किता की 1.78 है0 भूमि व ग्राम गन्दोलिया में खाता संख्या 8 की ख0नं0 335 की 1.30 है0, भूमि स्थित है। जो प्रार्थिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसके अलावा प्रार्थिया के पुत्र हरिश कुमार के नाम ग्राम व माल गन्दोलिया में खाता संख्या 300 की ख0नं0 596/122 की 0.06 है0, ख0नं0 597 की 0.45 है0, ख0नं0 598 की 0.06 है0, ख0नं0 600 की 0.94 है0 कुल 4 किता की 1.51 है0 भूमि स्थित थी जो प्रार्थिया के पति ओमप्रकाश ने प्रार्थिया के कहने पर अपने पुत्र हरशि कुमार अप्रार्थी के नाम करवाई थी। प्रर्थिया के पति ओमप्रकाश लगभग 7 वर्ष पूर्व से लापता है। जिनका आज तक कोई पता नहीं है। प्रार्थिया के तीन संताने है। जिनमें अप्रार्थी हरिश व पुत्रियां कुसुमलता व सुनिता है। अप्रार्थी प्रार्थिया का एकमात्र पुत्र है जो आदतन शराब [illegible] का आदी है। जिसने अपने हिस्से की जमीन खाता संख्या 300 की ग्राम गन्दोलिया के माल [illegible] कुल 4 किता की 1.51 है0 भूमि दिनांक 20.03.2014 को जगदीश पुत्र तुलसीराम व [illegible] के पुत्र के नाम बेचान कर दी। जिसकी रजिस्ट्री करवाकर पूरी रकम अप्रार्थी ने प्राप्त कर ली जिसमें प्रार्थिया को कुछ भी राशि नहीं दी। अब अप्रार्थी आये दिन प्रार्थिया से जबरन दादागिरी करके गलत तरीकों से रूपये वसूल करता है एवं बची हुई प्रार्थिया के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम व माल बेडक्या की खाता संख्या 4 की कुल 2 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:32 IST
Reason: SelfAttested

की 1.78 है0 व ग्राम व माल गन्दोलिया की खाता संख्या 8 की ख0नं0 335 की 1.30 है0 भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेचान करने पर आमादा है। जबकि यह भूमि प्रार्थिया के पति ओमप्रकाश के समय से प्रार्थिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसकी प्रार्थिया की मुनाफा काश्त पर जुताकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। लेकिन अप्रार्थी उसे बेचान करने पर आमादा है। जबकि ओमप्रकाश जी ने पारिवारिक बंटवारा करें खाता संख्या 300 की की 1.51 है0 व एक मकान हरिश को दे दिया था एवं शेष भूमि खाता संख्या 4 की 1.78 एवं खाता संख्या 8 की 1.30 है0 प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दी थी। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है यदि अप्रार्थी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया और प्रार्थिया के कब्जे काश्त की ग्राम व माल बेडक्या की खाता संख्या 4 की कुल 2 किता की 1.78 है0 व खाता संख्या 8 की एक किता की 1.30 है0 आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे रहन बेचान अथवा खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी व अनेकाने कवाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु प्रार्थिया उक्त आराजी की खातेदार कृषक घोषित होकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारणी है कि वह उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे रहन बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, प्रार्थिया को उसका उपयोग, उपभोग करने देवे जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष में है। अन्य कारण ब वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसलावाद अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम व माल बेडक्या की खाता सख्या 4 की कुल दो किता की 1.78 है0 व ग्राम व माल गन्दोलिया की खाता संख्या 8 की 1.30 है0 आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे रहन बेचान, खुर्द बुर्द नही करें प्रार्थीया को उसका उपयोग, उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बेडक्या की जमाबन्दी संवत 2071—2074 खाता संख्या 4 रकबा 1.78 है0 भूमि ओमप्रकाश पुत्र दीनानाथ के दर्ज खाते है। तथा ग्राम गन्दोलिया जमाबन्दी संवत 2072—2075 के पुराना खाता संख्या 8 ओमप्रकाश पुत्र दीनानाथ हिस्सा 4/5 दर्ज है। ग्राम गन्दोलिया की पुराना खाता संख्या 300 रकबा 1.51 अप्रार्थी हरिश कुमार पुत्र ओमप्रकाश के दर्ज खाता है। प्रस्तुत रिकार्ड प्रार्थीया का पहचान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:32 IST
Reason: SelfAttested

व गुमशुदा व्यक्ति की सुचना आदि के आधार पर तथा अभिभाषकगण की यथास्थिति पर सहमति के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

::—आदेश::—

उक्त विवेचन व विश्लेषण तथा अभिभाषकगण की सहमति के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ताफैसलावाद अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम व माल बेडक्या की खाता सख्या 4 की कुल दो किता की 1.78 है0 व ग्राम व माल गन्दोलिया की खाता संख्या 8 की 1.30 है0 आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे रहन बेचान, खुर्द बुर्द नही करें प्रार्थीया को उसका उपयोग, उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। कब्जे काश्त के अनुसार रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:32 IST
Reason: SelfAttested